संoसं0–7/सदर–23–01/2017– 89 (7)अ

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।

पटना, दिनांक 16-10-2017

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹29,15,75,900/– (उनतीस करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक–15.05.17, 24(7)ब दिनांक–31.05.17, 56(7)ब दिनांक–07.09.17, 73(7)ब दिनांक–25.09.17, 81(7)ब दिनांक–25.09.17 एवं 84(7)ब दिनांक–09.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹29,15,75,900/– (उनतीस करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

12. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

13. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।

14. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

15. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 16/10/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 29 (7) 9 पटना, दिनांक : 16-10-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/10/17

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड–20–2210011100013) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	बक्सर	9000000	12600000	4500000	0	81000	180000	26361000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	26861000	1956/5.9.17
2	मुंगेर	9000000	12600000	4500000	0	81000	180000	26361000	0	0	0	0	10000	0	200000	5000000	400000	5000000	36971000	1489/29.8.17
3	सुपौल	9000000	12600000	4500000	0	81000	180000	26361000	0	0	0	300000	0	0	200000	6000000	500000	5000000	38361000	1098/5.9.17
4	समस्तीपुर	9000000	12600000	4500000	0	81000	180000	26361000	0	50000	0	500000	15000	0	0	0	0	6000000	32926000	1952/11.9.17, 1501/15.7.17
5	बेगुसराय	9000000	12600000	4500000	0	81000	180000	26361000	0	0	0	200000	15000	5000	500000	6000000	500000	0	33581000	1966/23.8.17
6	बाँका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	4000000	0	0	4100000	1757/18.7.17
7	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	4000000	0	0	4500000	1916/12.9.17
8	अररिया	5000000	7000000	2500000	0	45000	100000	14645000	0	0	0	500000	0	5000	200000	5000000	500000	2000000	22850000	1270/6.9.17
9	बेतिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	1914/7.10.17
10	रोहतास	8000000	11200000	4000000	0	72000	160000	23432000	257900	50000	30000	500000	15000	5000	200000	5000000	0	5000000	34489900	2330/6.10.17, 2145/7.9.17
11	जमुई	5000000	7000000	2500000	0	45000	100000	14645000	0	20000	0	500000	15000	5000	200000	5000000	0	4000000	24385000	2452/22.9.17
12	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	500000	2041/22.9.17
13	गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी	8000000	11200000	4000000	50000	72000	160000	23482000	0	50000	0	1000000	14000	5000	500000	0	1500000	5000000	31551000	879/4.10.17
	कुल	71000000	99400000	35500000	50000	639000	1420000	208009000	257900	170000	30000	4000000	84000	25000	3100000	40000000	3900000	32000000	291575900	

(उनतीस करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ) रू. मात्र

89(7)9
16-10-17

ह०/- 16/10/17
सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवषेश राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013–01–01)	1014647000	930000000	71000000	1001000000	13647000
2	जीवन यापन भत्ता (0013–01–03)	1420505000	1300080000	99400000	1399480000	21025000
3	मकान किराया भत्ता (0013–01–04)	507323000	462792000	35500000	498292000	9031000
4	परिवहन भत्ता (0013–01–05)	411000	305000	50000	355000	56000
5	चिकित्सा भत्ता (0013–01–06)	8954000	8119600	639000	8758600	195400
6	अन्य भत्ता (0013–01–07)	20292000	18462000	1420000	19882000	410000
7	त्यौहार अग्रिम (0013–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	**2973132000**	2719758600	**208009000**	**2927767600**	**45364400**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013–06–01)	2500000	1277724	257900	1535624	964376
9	यात्रा व्यय (0013–11–01)	2530000	1490000	170000	1660000	870000
10	कार्यालय व्यय (0013–13–01)	9006000	9006000	0	9006000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013–13–02)	3930000	2105000	0	2105000	1825000
12	दूरभाष (0013–13–03)	5000000	2885000	30000	2915000	2085000
13	विद्युत प्रभार (0013–13–04)	58520000	53406000	4000000	57406000	1114000
14	विधि प्रभार (0013–13–05)	1000000	674367	0	674367	325633
15	वर्दी/ पोषाक (0013–13–06)	997000	913000	84000	997000	0
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013–13–07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013–14–01)	1810000	1785000	25000	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013–20–03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0013–21–01)	27000000	13570000	3100000	16670000	10330000
20	दवा भंडार (0013–21–02)	395000000	285650000	40000000	325650000	69350000
21	आहार/ पथ्य (0013–21–03)	220000000	106221900	3900000	110121900	109878100
22	लघु कार्य (0013–27–01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013–27–02)	50000000	0	0	0	50000000
24	संविदा सेवाएँ (0013–28–02)	1100656000	836644500	32000000	868644500	232011500
25	मशीने एवं उपस्कर (0013–52–01)	127600000	52250580	0	52250580	75349420
	कुल योगः–	**5005683000**	**4087637671**	**291575900**	**4379213571**	**626469429**

89(7)a
16-10-17

सरकार के विशेष सचिव 16/10/17
विनोद